न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3028/एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2012 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर – प्रकरण कमांक 620/अ–6/2011–12 अपील

कुंजविहारी पुत्र स्व.लखनलाल यदुवंशी
ग्राम बोहना खेरी तहसील चौरई
जिला छिन्दवाड़ा ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती चित्रलेखा पुत्री स्व. लखनलाल यदुवंशी
पत्नि सियाराम चन्द्रवंशी ग्राम भोमा
तहसील एंव जिला सिवनी मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री टी0सी0लखेरा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सतीश श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 28– 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 620/अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.5.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा को आवेदन देकर कर मांग की कि नगर छिन्दवाड़ा बं. नं. 77 के नजूल व्लाक नं. 18 के प्लाट नंबर 335 रकबा 25. 826 व.मी. एंव प्लाट नं. 336 रकबा 75.786 व.मी. कुल रकबा 83.613 व.मी.(आगे वादग्रस्त भूखंड सम्बोधित किया गया है) पर स्थित मकान लखनलाल के पुत्र आवेदक कुंजविहारी के अकेले हिस्से मे आया है इसलिये मृतखातेदार श्रीमती दरियावाई

खातेदार श्रीमती दरियावाई एंव नेवालाल का नाम तथा अनावेदक क्र-2 का नाम हटाकर उसके नाम दर्ज किया जावे। नजूल अधिकारी छिन्दवाड़ा ने प्रकरण क्रमांक 3 अ-6/05-06 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30.10.2007 पारित कर वादग्रस्त भूखंड पर आवेदक का नाम दर्ज करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के समक्ष अपील क्र. 25 अ 6/09-10 करने पर आदेश दि. 30.5.11 से नजूल तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.10.07 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील क्रमांक 620/अ-6/2011-12 प्रस्तुत कर स्थगन दिये जाने की मांग की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 27.5.2012 से स्थगन आवेदन अमान्य किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 620/अ-6/2011-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.5.2012 एंव निगरानी मेमो के तथ्यों के अवलोकन से देखना यह है कि क्या अपर आयुक्त व्दारा स्थगन आवेदन अमान्य करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक एंव अनावेदक सगे भाई-बहिन हैं एंव वादग्रस्त भूखंड पर नजूल तहसीलदार ने आदेश दि. 30.10.07 से केवल आवेदक का नामांतरण किया है,

जिसे कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की पुनः सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 25.7.12 में स्थगन आवेदन अमान्य करते हुये अंकित किया है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-52 - स्थगन दिया जाना न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है, परन्तु स्थापित सिद्धांत और संबंधि को दृष्टिगत रखकर ही विवेकाधिकार प्रयुक्त किये जाने योग्य होता है।

इस प्रकरण में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने कलेक्टर छिन्दवाड़ा के प्रत्यावर्तन आदेश को देखते हुये सुविधा-संतुलन आवेदक के पक्ष में होना न पाने के कारण स्थगन आवेदन अमान्य किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है, क्यों कि कलेक्टर छिन्दवाड़ा के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक आदेश दि. 30.5.11 के विरूद्ध आवेदक व्दारा प्रस्तुत द्वित्तीय अपील ग्राह्य-योग्य एंव सुनवाई योग्य है अथवा नहीं ? अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष विचार होना है जिसके कारण भी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के निर्णय दि. 25.7.12 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 620/अ-6/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.5.2012 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर